रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 837] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 4, 2010/वैशाख 14, 1932
No. 837] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 4, 2010/VAISAKHA 14, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2010

का.आ. 1002(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बैटरी (प्रबंधन और हथालन) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में, खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) प्रपुंज उपभोक्ता से केन्द्रीय सरकार के रेल, रक्षा, दूरसंचार, डाक तथा तार जैसे विभागों राज्य सरकार के विभागों उपक्रमों, बोर्डों तथा अन्य अभिकरणों या कंपनियों जैसे ऐसे उपभोक्ता अभिप्रेत हैं, जो प्रतिवर्ष एक सौ या एक सौ से अधिक बैटरियां क्रय करते हैं "।

3. उक्त नियमों के नियम 4 में,—

(i) उप-नियम (xi) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(xii) यह सुनिश्चित करें कि नई बैटरियां केवल रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों को ही बिक्रीत की जाएंगी।"

(ii) इस प्रकार अंत:स्थापित उप-नियम (xii) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**टिप्पण** :—समायोजकों तथा मरम्मतकर्ताओं को ऐसे दायित्वों की परिधि से अपवर्जित किया गया है जो उप-खंड (iv), उप-खंड (vii), उप-खंड (ix) तथा (xii) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. उक्त नियमों के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. **अयात कर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण.**—(i) अयातकर्ता प्ररूप I के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास रजिस्टर करेगा और उक्त नियमों के अनुसार अपेक्षित संख्या में प्रयुक्त बैटरियों के संग्रहण में असफलता, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक प्रति सहित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समय पर अर्धवार्षिक विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए रद्दकरण, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का उपबंध अनुपालन प्रास्थिति के अनुसार होगा :

परन्तु आयातकर्ता प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो;

(ii) कोई अपील, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पदानिहित किसी

अन्य अधिकारी द्वारा पारित किया गया रजिस्ट्रीकरण के निलम्बन या रद्दकरण या इंकार किए जाने के किसी आदेश के विरुद्ध होगी;

(iii) अपील लिखित में होगी और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति संलग्न की जाएगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है और यह आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी ।

5. उक्त नियमों के नियम 7 में, खंड (vi) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जायेगा अर्थात् :

''(vii) (क) प्ररूप के अनुसार ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पांच वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण और उक्त नियमों के अनुसार अपेक्षित संख्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को समय पर अर्धवार्षिक विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए रद्दकरण, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का उपबंध अनुपालन प्रास्थिति के अनुसार होगा, यदि तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण को रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा ।''

परन्तु व्यौहारी को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता;

(ख) कोई अपील, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पदानिहित किसी अन्य अधिकारी द्वारा पारित रजिस्ट्रीकरण के निलम्बन या रद्दकरण या इंकार किए जाने के किसी आदेश के विरुद्ध होगी;

(ग) अपील लिखित में होगी और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति संलग्न की जाएगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है और यह आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी ।

6. उक्त नियमों के नियम 8 के खंड (iv) में निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(iv) उपयोग की गई बैटरियों की प्राप्ति, स्रोत्र, मात्रा तथा धातु प्रतिफल से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख निरीक्षण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध कराना ।"

7. उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (3) में से संख्या ''120'' के स्थान पर "90" रखा जायेगा ।

8. उपर्युक्त नियम के प्ररूप I में ,—

(i) ''नई बैटरियों के विक्रय और उपयोगी हुई बैटरियों की विवरणियां फाइल करने के लिए प्ररूप, से संबंधित शीर्षक के नीचे विनिर्माता/संयोजक और मरम्मत करने वालों'' शब्दों के स्थान पर ''विनिर्माता/आयातकर्ता/प्रपुंज उपभोक्ता'' शब्द रखें जाएंगे;

(ii) स्तम्भ 1 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर ''विनिर्माता/आयातकर्ता/प्रपुंज उपभोक्ता का नाम और पता'' प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) स्तम्भ 3 में विद्यमान प्रविष्टि में शब्द ''बेची गई'' शब्द के पश्चात् ''आयातकर्ता या उपभोक्ता'' शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे ।

9. उपर्युक्त नियमों में, प्ररूप (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :—

प्ररूप IV

[नियम 4 और नियम 7 (vii) देखें]

व्यौहारियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप

[व्यौहारियों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए]

1. व्यौहारियों का नाम और पता,
   दूरभाष तथा फैक्स संख्या सहित
2. टिन/वैट संख्या*

*यदि लागू हो (वर्तमान राज्य बिक्री कर नियमों के अनुसार, अनिवार्य टिन/वैट संख्या केवल तभी अपेक्षित है जब व्यौहारियों का वार्षिक आवर्त विहित मूल्य से अधिक हो) ।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर ।

स्थान ....

तारीख ....

[23-22/2005-एचएसएमडी]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या नं. का.आ. 432 (अ) तारीख 16 मई, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2010

S.O. 1002 (E).–In exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby make the following rules to amend the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 namely,—

1. (1) These rules may be called Batteries (Management and Handling) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely,—

"(f) bulk consumer-means a consumer such as the Departments of Central Government like Railways,

Defence, Telecom, Posts and Telegraph, the Departments of State Government, the Undertakings, Boards and other agencies or companies who purchase hundred or more than hundred batteries per annum;".

3. In the said rules, in rule 4,—

(i) after sub-rule (xi), the following sub-rule shall be inserted, namely.'—

"(xii) ensure that the new batteries shall be sold only to the registered dealers";

(ii) after sub-rule (xii) as so inserted, the following Note shall be inserted, namely.'—

"Note: The assemblers and reconditioners are excluded from the purview of responsibilities as specified in sub-clauses (iv), (vii), (ix) and (xii).".

4. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely,.'—

"5. Registration of importers. — (i) the importers shall get registered as per Form I with the Central Pollution Control Board for a period of five years and a provision of cancellation for failure in collection of the required number of used batteries as per the said rules, non-submission of timely half yearly returns to the State Pollution Control Boards with a copy to the Central Pollution Control Board, renewal of the registration shall be as per the compliance status:

Provided that the registration granted to the importer shall not be cancelled unless he has been given a reasonable opportunity of hearing;

(ii) an appeal shall lie against any order of suspension or cancellation or refusal of registration passed by the Member-Secretary of the Central Pollution Control Board or any other officer designated by the Central Pollution Control Board;

(iii) the appeal shall be in writing and shall be accompanied with a copy of the order appealed against and shall be made within period of thirty days from the date of passing of the order.".

5. In the said rules, in rule 7, after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely,—

"(vii) (a) registration with State Pollution Control Board for five years and a provision of cancellation for failure in collection of the required number of used batteries as per the said rules, non-submission of timely half yearly returns to the State Pollution Control Boards, renewal of the registration shall be as per the compliance status, to submit details as per Form IV, registration would be considered as deemed registered if not objected to within thirty days:

Provided that the registration granted to the dealer shall not be cancelled unless he has been given a reasonable opportunity of hearing;

(b) an apeal shall lie against any order of suspension or cancellation or refusal of registration passed by the Member-Secretary of the State Pollution Control Board or any other officer designated by the State Pollution Control Board;

(c) the appeal shall be in writing and shall be accompanied with a copy of the order appealed against and shall be made within period of thirty days from the date of passing of the order.".

6. In the said rules, in rule 8 for clause (iv), following clause shall be substituted, namely,—

" (iv) make available all records relating to receipt of used batteries, sources, quantities and metal yield to be submitted to the State Pollution Control Board for inspection;".

7. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (3), for the figures "120", the figures "90" shall be substituted.

8. In the said rule, in Form I,—

(i) under the heading relating to "Form for filling returns of sale of new batteries and collection of used batteries, for the words manufacturer/ assembler/reconditioner", the words "manufacturer/ importer/ bulk consumer" shall be substituted;

(ii) in column 1, for the existing entry, the entry "Name and Address of the manufacturer/importer/bulk consumer" shall be substituted;

(iii) in column 3, in the existing entry, after the word "sold", the words "importers or consumers" shall be inserted.

9. In the said rules, for the Form IV and the entries relating thereto, the following Form and entries shall be substituted, namely:—

"FORM-IV

[See Rules 4 and 7 (vii)]

FORM FOR REGISTRATION OF DEALERS

[To be submitted by dealers to the State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees].

1. Name and address of the dealers with telephone and fax numbers

2. TIN/VAT number*

*IF APPLICABLE (AS PER CURRENT STATE SALE TAX RULES, MANDATORY TIN/VAT NUMBER IS REQUIRED ONLY IF THE ANNUAL TURNOVER OF THE DEALER IS MORE THAN THE PRESCRIBED VALUE)

Signature of the authorized person.".

Place . . . .

Date . . . .

[No. 23-22/2005-HSMD]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 432 (E), dated the 16th May, 2001.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.